पत्रांक 356 /एन एस कैम्प/20
दिनांक 5-2-2020

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा OA No.-985/2019 with 986/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur UP with In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, UP में पारित आदेश के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात में भण्डारित कोमियम वेस्ट के उचित ढंग से निस्तारण हेतु मुख्य रूप से उक्त क्षेत्र में निम्न 03 कार्य किए जाने हैं:–

(1) अनियंत्रित रूप से भण्डारित कोमियम वेस्ट को हटाए जाने एवं स्टैब्लाइज कर सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाना।
(2) उक्त क्षेत्र में कोमियम वेस्ट के कारण प्रदूषित मृदा की खुदाई कर सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाना।
(3) उक्त क्षेत्र में प्रदूषित भू–जल के रैमिडियेशन की कार्यवाही किया जाना।

कोमियम वेस्ट को हटाकर स्टैब्लाइज किए जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार कराई गई डी.पी.आर. के अनुसार उक्त वेस्ट का In-situ सिक्योर्ड लैण्डफिल तैयार कर स्टैब्लाइजेशन के बाद निस्तारण किए जाने की लागत डी0पी0आर0 के अनुसार लगभग रूपये 102 करोड़ अनुमानित है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत सम्मिलित नहीं है। भूमि अधिग्रहण में समय भी लगेगा। इसके विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत दो टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से प्रथम चरण में भण्डारित कोमियम वेस्ट को निस्तारित किये जाना उचित होगा तथा इसकी लागत भी कम आनी सम्भावित है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों टी0एस0डी0एफ0 भण्डारित कोमियम वेस्ट से लगभग 15 से 17 कि0मी0 की दूरी पर स्थापित हैं तथा इनमें उपलब्ध क्षमता लगभग 80,000 मी0टन प्रत्येक की है। उक्त दोनों टी0एस0डी0एफ0 को उपलब्ध क्षमता में पूरे प्रदेश के हैजार्डस वेस्ट को भी निस्तारित किया जाना है तथा प्रश्नगत कोमियम वेस्ट को इनके परिसर में निस्तारित करने की स्थिति में स्टेबिलाईजेशन के पश्चात वेस्ट की मात्रा में बढोत्तरी को देखते हुए दोनों टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से कोमियम वेस्ट के निस्तारण के विकल्प पर सहमति बनाया जाना उचित होगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपस्थित प्रतिनिधि श्री डी0के0 सोनी, अतिरिक्त निदेशक आंचलिक कार्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट को टी0एस0डी0एफ0 में सर्वप्रथम अम्लीय वातावरण में सोडियम मेटासल्फाइट/फेरस सल्फेट द्वारा हैक्सावैलेंट कोमियम को ट्राईवैलेंट कोमियम में परिवर्तित करना होगा तथा तदोपरान्त लाइम के साथ मिश्रित करना होगा तदोपरान्त वेस्ट के स्टैबिलाईजेशन हेतु सीमेंट मिश्रित कर एस0एल0एफ0 में भण्डारित करना होगा। उनके द्वारा यह भी सहमति व्यक्त की गयी कि प्रथम चरण में वेस्ट का निस्तारण किया जाये, द्वितीय चरण में संकमित मृदा के रेमिडियेशन की कार्यवाही की जाये तथा अन्तिम चरण में भूगर्भ जल रेमिडियेशन का कार्य किया जाये।

औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार करा लिये जायें। श्री संदीप चन्द्रा, जी0एम0 इंजीनियरिंग, यू0पी0सी0डा0 द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की दिनांक 29.11.2019 में लिये गये निर्णयानुसार तकनीकी मार्गदर्शन हेतु एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है, उक्त समिति के माध्यम से टेण्डर डक्यूमेंट

MoM
CEO(C-2)
06/02/2020
(आदीश तिवारी)
सदस्य सचिव

(1)

तैयार करा लिया जाये। औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा अपेक्षा की गयी कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिस विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार करायी गयी है, उसी संस्था से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समन्वय कर टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार करा लिया जाये।

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य हेतु प्रथम चरण में रूपये 23.44 करोड़ की धनराशि की बजट व्यवस्था की जा चुकी है, जिसे मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा खोले जाने वाले Escrow Account में स्थानान्तरित कराया जाना है। साथ ही उनके द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि उक्त कोमियम वेस्ट के लिये उत्तरदायी उद्योगों से वांछित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की कार्यवाही तत्काल करते हुए Escrow Account में धनराशि भी जमा करायी जाये। श्री ऋषिकांत राजवंशी, अतिरिक्त एस0डी0एम0, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 06 इकाइयों के नाम व पते उपलब्ध न होने के कारण वसूली की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात से वांछित सूचनायें प्राप्त कर वसूली की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण की जाये।

बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की कार्यों के अनुश्रवण व टैण्डर डाक्यूमेंट तैयार किये जाने आदि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः इस समिति में अध्यक्ष के रूप में पर्यावरण विभाग के शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाना उचित होगा।

2– बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. कार्य के त्वरित सम्पादन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर उसमें सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को अध्यक्ष नामित किया जाये तथा समिति के सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शीघ्रता से नामित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

2. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 15.11.2019 को पारित आदेश को ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रथम चरण में कोमियम वेस्ट को उठाकर कॉमन फैसिलिटी (टी0एस0डी0एफ0) में निस्तारित कराये जाने की कार्यवाही की जाये। इस हेतु ओपेन टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें प्राप्त कर संस्था का चुनाव शीघ्रता से करा लिया जाये। टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही राज्य स्तर पर गठित समिति के माध्यम से शीघ्रता से पूर्ण करा ली जाये तथा इस सम्बंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिस परामर्शी से डी0पी0आर0 तैयार करायी गयी है, टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार कराने मे उक्त परामर्शी का सहयोग प्राप्त कर लिया जाये। यू0पी0सीडा द्वारा टैण्डर डाक्यूमेंट तैयार किये जाने हेतु आवश्यक यथोचित व्यय भी वहन किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उपरोक्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करायी जायें।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. कोमियम वेस्ट के कॉमन फैसिलिटी में निस्तारित हो जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात स्थिति के आंकलन के आधार पर अन्य दो चरणों यथा दूषित मृदा एवं भूजल का उपचार आदि कार्यों हेतु निविदा डाक्यूमेंट्स तैयार कर निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4. अतिरिक्त एस0डी0एम0, कानपुर देहात को निर्देशित किया गया कि जिन उद्योगों को आर0सी0 जारी की गयी है, उनसे तत्काल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली कर Escrow Account में जमा कराये। उद्योगों के बारे में पूर्ण विवरण क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात से समन्वय स्थापित कर प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, कानपुर देहात/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात)

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या– NGT-93 /81–7–2020–43(पर्या)/2014 टी.सी.–3
लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2020:

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/वित्त/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, लखनपुर, कानपुर।
4– जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
5– सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
7– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।